भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1511

जिसका उत्तर गुरुवार, 4 जुलाई, 2019 को दिया जाना है

**न्यायालय में लंबित मुकदमे**

**1511. श्री संजय सिंह :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून 2019 तक वरिष्ठ नागरिकों, बच्चों और महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित जघन्य अपराधों के न्यायालय में लंबित मुकदमों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ख) महिलाओं के विरुद्ध अपराध से संबंधित मामलों के शीघ्र सुनवाई के लिए स्थापित फास्ट-ट्रेक अदालतों में ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है ?

**उत्तर**

**विधि और न्‍याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद)**

**(क) :** राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एन जे डी जी) पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार 2,23,06,834 आपराधिक मामले जिसके अंतर्गत जिला और अधिनस्थ न्यायालयों में जून, 2019 तक वरिष्ठ नागरिक, बाल, महिला अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से अंतर्ग्रस्त जघन्य अपराध से संबंधित मामले भी है, लंबित थे। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित राज्य-वार मामलों के ब्योरे उपाबंध पर विवरण में दिए गए हैं। राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एन जे डी जी), वरिष्ठ नागरिक, बाल, महिला, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से अंतर्ग्रस्त जघन्य अपराध से संबंधित मामलो पर प्रथक डाटा अनुरक्षण नहीं करता है।

**(ख) :** महिलाओं के विरुद्ध अपराध से संबंधित मामलों का तीव्र विचारण करने के लिए अधीनस्थ न्यायालयों की स्थापना की गई है जिसके अंतर्गत त्वरित न्यायालयों (त्व० न्या०) भी सम्मिलित है, जो संबंधित उच्च न्यायालय के साथ परामर्श करके उनकी आवश्यकताओं और संसाधनों के अनुसार ऐसे न्यायालयों की स्थापना की गई है। जो कि राज्य के अधिकार में आते हैं। भारत सरकार ने “‘‘दंड़ विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 अधिनियमित किया था, जिसका, अन्य बातों के साथ-साथ, भारतीय दंड़ सहिता, दंड़ प्रक्रिया संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और लैंगिक अपराधों से बालकों का सरंक्षण अधिनियम, (पोक्सो) में संशोधनों का प्रभाव पड़ा है और महिलाओं और बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराधों से केवल संबंधित मामलों के तीव्र विचारण और निपटान के लिए सख्त उपबंध लाए गए थे। इसके अतिरिक्त, संघ सरकार ने 9,749.00 करोंड रुपए का अनुमानित व्यय पर राज्यों में न्यायपालिका प्रणाली को मजबूत करने के लिए, 14वें वित्त आयोग को ज्ञापन प्रस्तुत किया है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, रुपए का अनुमानित व्यय पर 4,144.00 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बालकों जिसमें ब्लातसंग के मामले भी सम्मिलित हैं आदि अंतर्ग्रसित जघन्य अपराधों मामलो के लिए 1,800 त्वरित न्यायालयों की स्थापना भी सम्मिलित है। आयोग ने सरकार के प्रस्ताव को मंजूर किया है और राज्यों की सरकारों से अनुरोध किया है कि वो त्वरित न्यायालयों की स्थापना के लिए अपेक्षित निधि प्राप्त करने हेतू कर न्यागमन की बढाने के रुप में उपलब्ध अतिरिक्त राजस्व लागत जगह का प्रयोग करें। 581 त्वरित न्यायालयों की कुल संख्या देश में कार्य कर रही है और 31.3.2019 को इन त्वरित न्यायालयों में 6,29,785 मामले लंबित है।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**उपाबंध**

**लंबित न्यायालय मामलों से संबंधित राज्य सभा अतारांकित संख्या 1511 जिसका उत्तर तारीख 04.07.2019 को दिया जाना है के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण**

**जिला और अधिनस्थ न्यायालयों में लंबित आपराधिक मामलों का विवरण**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **क्रम संख्या** | **राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम** | **आपराधिक मामलें** |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 2,45,813 |
| 2. | असम | 2,27,391 |
| 3. | बिहार | 23,32,370 |
| 4. | चंड़ीगढ़ | 29,007 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 2,09,232 |
| 6. | दिल्ली | 6,00,094 |
| 7. | दमण और दीव | 1,079 |
| 8. | दादर और नागर हवेली | 1,695 |
| 9. | गोवा | 12,719 |
| 10. | गुजरात | 12,52,187 |
| 11. | हरियाणा | 5,10,486 |
| 12. | हिमाचल प्रदेश | 1,60,623 |
| 13. | जम्मू - कश्मीर | 97,385 |
| 14. | झारखंड | 3,01,603 |
| 15. | कर्नाटक | 8,83,424 |
| 16. | केरल | 8,71,303 |
| 17. | मध्य प्रदेश | 11,10,106 |
| 18. | महाराष्ट्र | 24,95,925 |
| 19. | मणिपुर | 4,233 |
| 20. | मेघालय | 5,366 |
| 21. | मिजोरम | 1,265 |
| 22. | ओडिशा | 9,27,643 |
| 23. | पंजाब | 3,56,205 |
| 24. | राजस्थान | 11,43,359 |
| 25. | सिक्किम | 786 |
| 26. | तमिलनाडु | 5,02,366 |
| 27. | तेलंगाना | 2,99,303 |
| 28. | त्रिपुरा | 15,700 |
| 29. | उत्तर प्रदेश | 57,48,441 |
| 30. | उत्तराखंड़ | 1,92,991 |
| 31. | पश्चिमी बंगाल | 17,66,734 |
| **Total** | | **2,23,06,834** |

स्त्रोत : राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड़, जिला और अधिनस्थ न्यायालयो द्वारा अपलोड़ किया गया हैं। अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के संबंध में डाटा, राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड के वेब-पोर्टल पर उपलब्ध नही है।

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***